

SEBI द्वारा नवीन पूंजी वर्ग का प्रस्ताव

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

भारतीय प्रतभित्तिएवं वनिमिय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India- SEBI) ने एक नवीन पूंजी वर्ग या उत्पाद श्रेणी शुरू करने का प्रस्ताव दिया है।

- इस कदम का उद्देश्य **नविशकों को एक वनिमियमति नविश उत्पाद उपलब्ध कराना है, जिसमें उच्च जोखिम लेने की क्षमता हो, साथ ही अपंजीकृत और अनधिकृत नविश उत्पादों के प्रसार पर भी अंकुश लगाया जा सके।**

नोट:

- PMS नविशकों को अपने नविश पोर्टफोलियो के प्रबंधन के लिये पेशेवरों पर भरोसा करने और वभिन्न परसिंपत्त विरगों से प्रतसिपर्द्धी रटिरन अर्जति करने की अनुमति देता है।
- यह सेवा प्रत्येक नविशक की वशिषिट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये तैयार की गई है तथा यह सुनिश्चित करती है कि यह उनकी अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करना

प्रस्तावति नवीन पूंजी वर्ग क्या है?

- **न्यूनतम नविश सीमा:** नवीन पूंजी वर्ग के अंतर्गत न्यूनतम नविश सीमा प्रत नविशक 10 लाख रुपए प्रस्तावति की गई है।
- **वशिषिट नामकरण:** सेबी ने इस नवीन पूंजी वर्ग के लिये वशिषिट नामकरण का प्रस्ताव किया है ताकि इसे पारंपरिक MF, PMS **वैकल्पिक नविश कोष (Alternative Investment Funds- AIF)**, **रयिल एस्टेट नविश ट्रस्ट (Real Estate Investment Trusts- REIT)** और **इंफ्रास्ट्रक्चर नविश ट्रस्ट (Infrastructure Investment Trusts- INVIT)** से अलग किया जा सके।
- **नविश रणनीतियाँ:** कुछ नविश रणनीतियाँ जिनकी अनुमति दी जा सकती है, उनमें दीर्घ-अल्प अवधि इक्विटी फंड और इनवर्स **एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (Exchange-Traded Fund- ETF)** (ऐसे फंड जो स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार किये जाते हैं, काफी हद तक व्यक्तिगत स्टॉक की तरह) शामिल हैं।
 - नविशकों के पास नए परसिंपत्त विरग के अंतर्गत नविश रणनीतियों के लिये व्यवस्थित नविश योजना (Systematic Investment Plan- SIP), व्यवस्थित निकासी योजना (Systematic Withdrawal Plan- SWP) और व्यवस्थित हस्तांतरण योजना (Systematic Transfer Plan- STP) जैसी व्यवस्थित योजनाओं का विकल्प भी हो सकता है।
- **एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) के लिये पात्रता मानदंड:**
 - पात्रता के दो मार्ग:
 - **पहला मार्ग:** कम-से-कम तीन वर्षों से परचालनरत वदियमान एमएफ, जिनकी **औसत प्रबंधनाधीन परसिंपत्त (AUM) 10,000 करोड़ रुपए** है तथा जिनके प्रायोजक/AMC के **वरिद्ध पछिले तीन वर्षों में सेबी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं** की गई है, वे सीधे इस नए वर्ग में उत्पाद पेश कर सकते हैं।
 - **दूसरा मार्ग:** मौजूदा और नए MF जो पहले पात्रता मार्ग को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें कम-से-कम 10 वर्ष के फंड प्रबंधन अनुभव वाले और कम-से-कम 5,000 करोड़ रुपए के AUM का प्रबंधन करने वाले मुख्य नविश अधिकारी (Chief Investment Officer- CIO) की नयुक्ता करनी चाहिये।
 - **न्यूनतम 7 वर्ष के नविश प्रबंधन अनुभव वाले और 3,000 करोड़ रुपए के AUM का प्रबंधन करने वाले अतरिकित फंड मैनेजर की नयुक्ता**
- **संभावति लाभ और नहितार्थ:**
 - **वनिमियमति नविश उत्पाद:** नवीन पूंजी वर्ग से नविशकों को एक वनिमियमति नविश उत्पाद प्रदान करने की उम्मीद है, जो **उच्च जोखिम लेने की क्षमता और उच्च टिकट आकार (ticket size)** प्रदान करता है।
 - **MF और PMS के बीच की खाई को पाटना:** नवीन पूंजी वर्ग का उद्देश्य MF और PMS के बीच की खाई को भरना है, जो नविशकों के उभरते वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पाद प्रस्तुत करता है।
 - **MF की भूमिका को सुदृढ़ करना:** नवीन पूंजी वर्ग, उत्पादों के पेशकश के लिये पात्रता मानदंड नविश परदृश्य में स्थापति MF और AMC

की स्थितिको मज़बूत कर सकते हैं।

भारतीय प्रतभूतएवं वनिमिय बोर्ड (SEBI)

SEBI एक सांघधिक नकिय है, जसिकी स्थापना वर्ष 1992 में भारतीय प्रतभूतएवं वनिमिय बोर्ड अधनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार नविशकों के हतियों की रकषा करने तथा प्रतभूतबाज़ार को वनियमति करने के लयि की गई थी।

- इसका मुख्यालय मुंबई में स्थति है तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दल्लि में हैं।
- सेबी की स्थापना से पूर्व पूंजी नरिगम नयित्तरक, पूंजी नरिगम (नयित्तरण) अधनियम, 1947 के अंतर्गत पूंजी बाज़ारों को वनियमति करता था।
 - वर्ष 1988 में सेबी का गठन एक सरकारी प्रस्ताव के माध्यम से भारत में पूंजी बाज़ारों के लयि नयिमक प्राधकिरण के रूप में कयि गया था।
 - प्रारंभ में सेबी एक गैर-सांघधिक नकिय था, लेकनि सेबी अधनियम 1992 के माध्यम से इसे स्वायत्तता और सांघधिक शक्तियों प्राप्त हुई।
- सेबी बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा अन्य पूरणकालकि और अंशकालकि सदस्य शामिल हैं। सेबी वर्तमान मुद्दों को संबोधति करने के लयि आवश्यकतानुसार समतियों का गठन करता है।
 - सेबी के नरिणयों से प्रभावति लोगों के हतियों की रकषा के लयि प्रतभूतअपीलीय न्यायाधकिरण (SAT) की स्थापना की गई है, जसिमें एक पीठासीन अधकिारी और दो सदस्य हैं।
 - SAT को सविलि न्यायालय के समान अधकिार प्राप्त हैं तथा इसके नरिणयों के वरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है।

UPSC सविलि सेवा परीकषा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन पंजीकृत वदिशी पोर्टफोलयिो नविशकों द्वारा उन वदिशी नविशकों को जारी कयि जाता है जो खुद को सीधे पंजीकृत कयि बनिा भारतीय शेयर बाज़ार का हसिसा बनना चाहते हैं? (2019)

- (a) जमा प्रमाण-पत्र
- (b) वाणजियकि-पत्र
- (c) वचन-पत्र
- (d) पार्टसिपिटरी नोट

उत्तर: (d)